(Form 'M')

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

संख्या डी 2024 F.15(2) रे.ए. 57

दिनांक 26-2-58

चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ की धारा २९ की उप-धारा (१) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अत: अब राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१), १२, १४, १७, १८, और १९ में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्त्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना, या चूना या कोयला जलाना या कोई वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशुपालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
४	मेहनाल	बेगूं	चित्तौड़गढ़	पूर्व:-	ब्लॉक आरोली रेन्ज माण्डलगढ़
				पश्चिम:-	ब्लॉक [illegible] रेन्ज [illegible]
				उत्तर:-	ब्लॉक नयानगर रेन्ज माण्डलगढ़
				दक्षिण:-	मौजा [illegible] [illegible]

रा० मु०, जयपुर १९६०-११-६४-२०० का०

राजस्थान राजपत्र दि 3-5-58 के पृष्ठ 162 प्रकाशित हुई है

VIJAY SHANKAR PANDEY
D.C.F. CHITTORGARH

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी,

... बन्दोबस्त शाखा वन - खण्ड मैनाल रेन्ज बेगूँ

ग्राम सम्मिलित ग्राम ७ तहसील बेगूँ जिला चि. सम्वत वर्ष २० - ६ ८

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	काश्तकार अथवा निष्क्रमी खातेदार का नाम	रक्षा की अन्दर शामिल आया	रक्षा से छोड़ा गया रकबा	रक्षा की सीमा से बाहर छोड़ा गया	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
नावड़दा १	२०६॥)/४	मगरा	खि.ना.ख	२३१)			
२	१३५५॥।)	-॥-	खि.अ.ना.ख.	१२५५/३			
८३१	३३)	-॥-	-॥-	३३)			
८३२	२००/२	-॥-	-॥-	२००/२			
८३३	२०२)/२	-॥-	-॥-	२०२)/२			
८३४	१२५)	-॥-	-॥-	१२५)			
८३५	२५३।)/३	-॥-	-॥-	२५३।)/३			
८३६	७५/२	-॥-	-॥-	७५/२			
८६६	५८०)	-॥-	-॥-	५८०।)			
८६७	६॥।)/३	-॥-	-॥-	६॥।/३			
८७७	४१२।)/४	-॥-	-॥-	४१२।)/४			
८८०	२५०॥।)/२	-॥-	-॥-	२३३॥/२			
८८१	३॥)/४	बारानी	-॥-	३॥/४			
८८२	३७५/१	मगरा	-॥-	३७५/१			
८८३	१२७॥)/१	-॥-	-॥-	१२७॥)/१			
८८४	२६३।)/४	-॥-	-॥-	२६३।)/४			
८८५	४॥।)/१	-॥-	-॥-	४॥।)/१			
८८६	२२०/२	-॥-	-॥-	२२०/२			

VIJAY SHANKAR PANDEY
D.C.F. CHITTORGARH

कार्यालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी,

अन्दर बन्दोबस्त आरक्षित वन - खण्ड मेनाल रेन्ज [illegible]

नाम ग्राम तहसील जिला सम्वत वर्ष

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	कब्जेदार आला / सिकमी / खातेदार का नाम	रक्षा की अन्दर ब्लॉक आया	रक्षा इन्टीरियर लाइन	रक्षा की बाहर ब्लॉक आया	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८
४८७	२७१/४	मगरा	बि.आ.ना. ख.	६०१/३			
१०२८	७॥)	-॥-	-॥-	२॥।/२			
१०३४	११५॥।)	-॥-	-॥-	१०७॥।/१	खारीज		
१०४२	५५)	-॥-	-॥-	५८।)			
१०४३	३७८।)	-॥-	-॥-	३७५।)			
१०४६	६८१/१	-॥-	-॥-	६७६॥।/२			
				५७०॥/३	४७०॥।) [illegible]	५६०१॥।/२	
२ ग्राम धारला							
२	५२७/२	मगरा	बि.नां.कि. चक	१६८॥/१			
३	५३०॥/३	-॥-	-॥-	१३१॥)			
४	२०७॥/४	-॥-	-॥-	७८॥/२			
२३८	२५॥।/३	-॥-	-॥-	११)			
२३५	१८॥।/४	-॥-	-॥-	७।)३			
२४०	११)/४		-॥-	॥)३			
२४१	२३)/२		-॥-	१)			
२७७	३६॥।)		-॥-	३॥/१			
२७८	३२/३		-॥-	५॥)			
२७५	४३)/३		-॥-	७।)			

VIJAY SHANKAR PANDEY
D.C.F. CHITTORGARH

D.C.F. CHITTORGARH

कार्यालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, उदयपुर

[illegible] रक्षित वन - खण्ड मेनाल रेन्ज बेगूं

नाम ग्राम तहसील जिला सम्वत वर्ष

[illegible]	[illegible]	किस्म जमीन	खातेदार अथवा गैर-मुमकिन खातेदार का नाम	रक्षा की अन्दर बन्दोबस्त आया	[illegible] लाइन	रक्षा की बाहर [illegible] आया	[illegible]
१	२	३	४	५	६	७	८
६३० / २७७	११५/३		सि. बा. मौ. चक	११५/३			
६३१ / २७७	१६००/२		—॥—	११६८/३			
				१५०६/१ ✓			
३ मेनाल २०५ / १	७४१॥/३	मगरा	बिलानाम	२४३॥/४			
२०६ / १	३४४	—॥—	—॥—	३४४			
२०७ / १	२०७॥/२	—॥—	—॥—	२०७॥/३			
२०८ / १	१६५१॥/३	—॥—	—॥—	११३३॥/३			
२१४ / ११५	१२६५॥/४	—॥—	—॥—	१२६५॥/४			
				५२४०॥/४ ✓			

खसरा नकल से मिलान किया अ. ११-३-७०

जोड़वार

(1)	ग्राम	रायडा	~~५२००॥~~ ५६०१॥/२ ✓	2240.64
(2)	ग्राम	धारला	१५०६/१ ✓	682.42
(3)	ग्राम	मेनाल	५२४०॥/४ ✓	2100.38
			जोड़ १२६६६/३	5023.44
			१०७॥/१ रकबे से ज्यादा	
			१२५५८/१२	

5023.44 [illegible] ~~[illegible]~~

VIJAY SHANKAR PANDEY
D.C.F. CHITTORGARH